

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र [आर.ए.एस.]

112(ए)/2025

गेएमएस : 2025/261

1. बलदेव पुत्र श्री हरीराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज. --:वादी

**बनाम**

1. मनीराम पुत्र श्री हरीराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. देवीलाल पुत्र श्री हरीराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. दयाराम पुत्र श्री हरीराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. शारदा देवी पत्नी श्री कृष्णलाल उर्फ किशनलाल जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला हाल निवासी भाडेरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राज.।
5. राजीव कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल उर्फ किशनलाल जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला हाल निवासी भाडेरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राज.।
6. द्रोपती पुत्री श्री श्री कृष्णलाल उर्फ किशनलाल जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला हाल निवासी भाडेरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राज.।
7. शोभा पुत्री श्री कृष्णलाल उर्फ किशनलाल जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला हाल निवासी भाडेरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राज.।
8. गोमती पुत्री श्री हरीराम पत्नी श्री चन्द्रराम जाति बिश्नोई साकिन भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राज.।
9. बालीदेवी पुत्री श्री हरीराम पत्नी श्री मनीराम जाति बिश्नोई साकिन जोड़किया तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
10. सुरेश कुमार पुत्र श्री राजाराम जाति बिश्नोई साकिन जोड़किया तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राज.।
11. विमला पुत्री श्री राजाराम जाति बिश्नोई साकिन जोड़किया तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राज.।
12. इन्द्रपाल पुत्र श्री राजाराम जाति बिश्नोई साकिन जोड़किया तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राज.।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज. --:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-92ए-209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 11.06.2025

**उपस्थितअधिवक्तागण**

1. श्री राजेश धारणियां अधि. वादी।
2. श्री कृष्ण लाल लदोईया अधि. प्रति.सं. 1।
3. श्री सोहन वर्मा अधि. प्रति. सं. 2 ता 12।

--: निर्णय :-

दिनांक : 28.08.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद से संबंधित वादी के परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है कि हरीराम मृतक के घोटीदेवी पत्नी मृतक, कृष्णलाल, बलदेव, मनीराम, देवीलाल, दयाराम पुत्रगण, बाली, गोमती, परमेश्वरी पुत्री कुल पत्नी सहित 9 वारिस थे। कृष्णलाल मृतक के शारदा पत्नी, राजीवकुमार पुत्र, द्रोपती पुत्री, शोभा पुत्री सहित



*(Signature)*



उपखण्ड जालनगर  
रायसिंहनगर

कुल 4 वारिस थे। परमेश्वरी पुत्री मृतक के सुरेश कुमार पुत्र, विमला पुत्री, इन्द्रपाल पुत्र कुल 3 वारिस थे। राजस्व ग्राम चक 26 पी.एस.बी. तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2073-2076 खतौनी संख्या 163/143 मुरब्बा नं. 52 पं.नं. 223/288 के कि.नं. 1-2-9-10-12 सालम-सालम कुल 1.265 है. नहरी भूमि व चक लखाटिब्बा तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2075-2078 की खतौनी संख्या 829/606 मुरब्बा नं. 584 पं.नं. 237/289 के कि.नं. 21-22-23-24-25 सालम-सालम कुल 1.265 है. बारानी भूमि इस प्रकार कुल 2.530 है. नहरी बारानी भूमि हरीराम पुत्र जीवनराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला के नाम दर्ज है। वादी के पिता हरीराम का देहान्त हो चुका है तथा माता घोटीदेवी का भी देहान्त हो चुका है स्वर्गीय श्री हरीराम के वादी के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के प्रति व पिता स्वर्गीय श्री कृष्णलाल व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 12 की माता परमेश्वरी कुल 8 जायज व कानूनी वारिस है। स्वर्गीय श्री कृष्णलाल के उपरोक्त प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 के अलावा पुत्र रमेश कुमार व राकेश कुमार थे जिनमें राकेश कुमार ला वल्द फौत हो चुका है तथा रमेश कुमार के देहान्त के पश्चात उसकी पत्नी ने दूसरी जगह शादी कर ली है उपरोक्त विवादित सम्पत्ति के संबंध में किसी प्रकार का विवाद ना हो इसके लिए वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में वादी के पिता ने वसीयत भी तहरीर तकमिल करवाकर पंजबद्ध करवायी थी लेकिन मौका पर वसीयत लागू ना होकर वारिसान काबिज है उक्त भूमि में स्वर्गीय श्री हरीराम के जायज व कानूनी वारिसान हर आठ का बहिरसा बराबर-बराबर  $1/8-1/8$  हिस्सा बनता है तथा  $1/8$  हिस्सा प्रत्येक को 0.316 है. भूमि विरास्तन आती है तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व व प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के पति व पिता स्वर्गीय श्री कृष्णलाल व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 12 की माता परमेश्वरी कुल 8 अपने आपको खातेदार घोषित करवाने के विधिक अधिकारी है। विवादित भूमि पैतृक व जद्दी जायदाद हे जिसमें वादी का  $1/8$  हिस्सा भूमि अर्थात दोनों चकों में 0.316 है. नहरी बारानी भूमि बतौर पैतृक प्राप्त हुई है जिसमें वादी का हित जन्म के रोज से ही है तथा वादी अपने हिस्सा की भूमि का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है बस यही वादकरण मुझ वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 के विरुद्ध हासिल है। उक्त दोनों चकों की विवादित भूमि हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पत्ति है तथा पक्षकारान के संयुक्त कब्जा काश्त में है मुझ वादी द्वारा उक्त हिन्दू खानदान की संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि की बाबत दिनांक 10.06.2025 को प्रतिवादी संख्या 13 के समक्ष उपस्थित होकर उक्त भूमि की स्वर्गीय श्री हरीराम की मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के पति व पिता स्वर्गीय श्री कृष्णलाल व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 12 की माता परमेश्वरी कुल आठ वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज किए जाने का निवेदन किया गया तो उनके द्वारा माननीय न्यायालय से आदेश लाने का कहा गया जो यही तारीख बिनाय मुखारमत है तथा बिनाय दावा वादी को उक्त भूमि हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पत्ति होने के रोज से प्राप्त है वादी उक्त भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर अपने विरास्तन हिस्सा यानि बतौर कोपास्रनर  $1/8$  हिस्सा अर्थात 0.316 है. भूमि का अपने आपको खातेदार घोषित करवाने व उसी अनुसार रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का विधिक रूप से अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के पति व पिता स्वर्गीय श्री कृष्णलाल व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 12 की माता परमेश्वरी कुल 8 का विवादित भूमि में वादी के साथ ही बराबर का विरास्तन हक है लेकिन वे आवश्यक कार्य होने के कारण वादी नहीं बने सके जिनको आवश्यक पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 13 लैण्ड होल्डर होने के कारण उन्हें भी आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र बाबत् अधिकारों की घोषणा के संबंध में अन्तर्गत धारा 88, 92 ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है अतः वाद पत्र

  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से फैसल एवं डिक्री फरमाया जावे कि चक 26 पी.एस.बी. तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 52 पं.नं. 223/288 के कि. नं. 1-2-9-10-12 सालम-सालम कुल 1.265 है. नहरी भूमि व चक लखाटिब्बा तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 584 पं.नं. 237/289 के कि.नं. 21-22-23-24-25 सालम-सालम कुल 1.265 है. बारानी भूमि इस प्रकार कुल 2.530 है. नहरी बारानी भूमि जो भूमि पैतृक व जद्दी जायदाद है जिसमें मुझ वाद व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के पति व पिता स्वर्गीय श्री कृष्णलाल व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 12 की माता परमेश्वरी कुल 8 प्रत्येक को बतौर कोपार्सनर 1/8 हिस्सा अर्थात 0.316 है. नहरी बारानी भूमि के खातेदार घोषित किए जाने की डिक्री पारित की जावे एवं डिक्री वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व स्वर्गीय श्री कृष्णलाल के वारिस प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 तथा स्वर्गीय परमेश्वरी के वारिस प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 12 के नाम इस प्रकार हर आठ के नाम बहिस्सा बराबर-बराबर अमल दरामद किए जाने का आदेश पारित किया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 की तरफ से श्री कृष्णलाल लदोईया अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब दावा पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी के पिता श्री हरीराम के नाम की उक्त विवादित भूमि में मुझ उत्तरदाता का भी 1/8 हिस्सा बनता है अतः इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी बहक वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 4 ता 7 के पति/पिता 8 व 9 तथा 10 ता 12 की माता कुल हिस्सा 1/8, प्रत्येक को 1/8 हिस्सा अर्थात 0.316 है. नहरी व बारानी का खातेदार घोषित किया जाकर इसी अमर की डिक्री जारी की जाती है तो मिन उत्तरदाता को कोई उज्र व एतराज नहीं है। लिहाजा उक्त अनुसार ही प्रत्येक हिस्सेदार को 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर वाद डिक्री सादिर फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 की तरफ से श्री सोहन वर्मा अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। इसी के साथ वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित हुए व दिनांक 18.08.2025 को राजीनामा पेश कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अनवान सदर के प्रकरण में लोक अदालत की भावना से हम पक्षकारान का आपसी राजीनामा हो चुका है तथा राजीनामा के मुताबिक वाद वादी के कथनानुसार स्वीकार किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 12 को कोई उजर व एतराज नहीं होगा हम प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 12 पूर्णतया सहमत है। राजीनामा एवं फद अहकाम पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये जिनको वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण ने प्रमाणित किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दिनांक 18.08.2025 को प्रस्तुत राजीनामा एवं प्रति. सं. 1 के इकबाली जवाब दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा जरिये अधिवक्तागण प्रस्तुत राजीनामा व सहमति के आधार पर वादी का वाद पत्र हम स्वीकार करना उचित समझते है।


---आदेशः---

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88-92ए-209 आर.टी.एक्ट भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वाके चक 26 पी.एस. बी. तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2073-2076 खतौनी संख्या 163/143 मुरब्बा नं. 52 पं.नं. 223/288 के कि.नं. 1-2-9-10-12 सालम-सालम कुल 1.265 है. नहरी भूमि व चक लखाटिब्बा तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2075-2078 की खतौनी संख्या 829/606 मुरब्बा नं. 584 पं.नं. 237/289 के कि.नं. 21-22-23-24-25 सालम-सालम कुल 1.265 है. बारानी भूमि इस प्रकार कुल 2.530 है. नहरी बारानी भूमि जो भूमि पैतृक व जद्दी जायदाद है जिसमें वादी व




उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के पति व पिता स्वर्गीय श्री कृष्णलाल व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 की माता परमेश्वरी कुल 8 प्रत्येक को बतौर कोपारसनर 1/8 हिस्सा अर्थात 0.316 है नहरी-बारानी भूमि के खातेदार घोषित किया जाता है आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इस आशय की डिग्री तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्दा दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा हो।

  
{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलेक्टर ~~अधिकारी~~ उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

  
{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलेक्टर ~~अधिकारी~~ उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर



**C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर  
बईजलास : सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस.)

112(ए)/2025

आदेश : 2025/261

बलदेव पुत्र श्री हरीराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला  
श्रीगंगानगर राज.

-वादी

**बनाम**

- मनीराम पुत्र श्री हरीराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
- देवीलाल पुत्र श्री हरीराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
- दयाराम पुत्र श्री हरीराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
- शारदा देवी पत्नी श्री कृष्णलाल उर्फ किशनलाल जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला हाल निवासी भाडेरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राज.।
- राजीव कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल उर्फ किशनलाल जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला हाल निवासी भाडेरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राज.।
- द्रोपती पुत्री श्री श्री कृष्णलाल उर्फ किशनलाल जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला हाल निवासी भाडेरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राज.।
- शोभा पुत्री श्री कृष्णलाल उर्फ किशनलाल जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला हाल निवासी भाडेरा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर राज.।
- गोमती पुत्री श्री हरीराम पत्नी श्री चन्दूराम जाति बिश्नोई साकिन भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राज.।
- बालीदेवी पुत्री श्री हरीराम पत्नी श्री मनीराम जाति बिश्नोई साकिन जोड़किया तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।
- सुरेश कुमार पुत्र श्री राजाराम जाति बिश्नोई साकिन जोड़किया तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राज.।
- विमला पुत्री श्री राजाराम जाति बिश्नोई साकिन जोड़किया तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राज.।
- इन्द्रपाल पुत्र श्री राजाराम जाति बिश्नोई साकिन जोड़किया तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राज.।
- स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।

--:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-92ए-209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

--: निर्णय :-

दिनांक : 28.08.2025

- वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि-वादी के अधिवक्ता श्री राजेश धारणियां, प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री कृष्णलाल लदोईया-सोहन वर्मा प्रतिवादीगण की उपस्थिति में निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि :- चक 26 पी.एस.बी. तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2073-2076 खतौनी संख्या 163/143 मुरब्बा नं. 52 पं.नं. 223/288 के कि.नं. 1-2-9-10-12 सालम-सालम कुल 1.265 है नहरी भूमि व चक लखाटिब्बा तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2075-2078 की खतौनी संख्या 829/606 मुरब्बा नं. 584 पं.नं. 237/289 के कि.नं. 21-22-23-24-25 सालम-सालम कुल 1.265 है. वारानी भूमि इस प्रकार कुल 2.530 है नहरी-वारानी भूमि जो भूमि पैतृक व जददी जायदाद है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व

2

उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर

प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 के पति व पिता स्वर्गीय श्री कृष्णलाल व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 तथा प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 की माता परमेश्वरी कुल 8 प्रत्येक को 1/8 हिस्सा अर्थात 0.316 है. नहरी-बारानी भूमि के खातेदार घोषित किया जाता है आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद किया जावे।  
डिक्री आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



सिमाषचन्द्र (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगनगर

दिनांक-9/9/25

क्र-रीडर/2025/2033

लिये-  
तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित।



सिमाषचन्द्र (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगनगर